(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/3632 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.08.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 62/अपील/15-16.

---

1. श्री परसराम आ. श्री मंहगीलाल
2. श्री शारदा आ. श्री मंहगीलाल

दोनों निवासी ग्राम रोढ़ा, तह. बैतूल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्री रामदयाल आ. श्री आनन्दराव
2. माधोराव आ. श्री आनन्दराव
3. शिवचरण आ. श्री आनन्दराव
4. जगन्नाथ आ. श्री आनन्दराव

सभी निवासी ग्राम रोढ़ा, तह. बैतूल .....अनावेदकगण

श्री विश्वास सोनी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री एम.के. पंडागर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/12/18 **को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 10.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, बैतूल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण दोनों एक ही ग्राम रोढ़ा के तथा एक ही समाज के आपस में रिश्तेदार होकर कृषि कार्य करते हैं। आवेदकगण की कृषि भूमि ग्राम रोढ़ा पटवारी हल्का नंबर 58 के खसरा क्र. 225/1 और 225/2 कुल रकबा 2.102 हैक्टेयर है तथा इन खेतों में आने-जाने व काश्तकारी करने का रास्ता खसरा क्र. 226 ग्राम रोढ़ा की मेढ़ से है, जो पूर्वजों के समय से आना-जाना होता चला आ रहा है। यह कि उक्त आने-जाने के रास्ते पर अनावेदकगण द्वारा बड़े-बड़े गड्डे खोद दिये हैं और आवेदकगण को अपने खेत में आने-जाने से रोकते हैं, जिसके कारण आवेदकगण अपनी खेती व सिंचाई का कार्य व बैलगाड़ी भी नहीं ले जा पा रहे हैं, जिसके कारण आवेदकगण की पूरी फसल खराब हो जायेगी। प्रश्नाधीन खेत में जाने के लिए खसरा क्रमांक 226 के मेढ़ के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, जो करीब एक माह से अनावेदकगण ने बंद कर रखा है। अत: प्रश्नाधीन रास्ता आवागमन हेतु खुलवाये जाने का अनुरोध किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 01/अ-13/09-10 दर्ज कर आदेश दिनांक 02.07.2010 पारित किया गया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20.09.2010 से प्रकरण तहसीलदार को पुन: उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर रास्ते के विवाद के निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 06.07.2015 को पुन: आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 30.10.2015 से अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार का आदेश दिनांक 06.07.2015 निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 10.08.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30.10.2015 स्थिर रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आयुक्त को यह देखना चाहिए था कि आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम रोढ़ा में स्थित भूमि खसरा क्र. 226 की मेढ़ से अपने पूर्वजों के समय से आना-जाना करते हैं, लेकिन अनावेदकगण ने उक्त रास्ता बंद कर रखा है। तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता खोलने का आदेश पारित किया गया, परंतु अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.10.2015 अनुसार विधि, तथ्यों एवं दस्तावेजों की अनदेखी कर आलोच्य आदेश पारित किया है और अपनी मर्जी से प्रचलित रास्ता 226 का छोड़कर नाले से एवं 227/3 एवं 228 की पेड़-झाड़ियों और दूसरी की जमीनों में से रास्ता देने का अनुचित, अवैध एवं विधि विपरीत औचित्यहीन आदेश पारित किया है, जबकि प्रत्येक किसानों को अपने खेतों में आने-जाने एवं अपने कृषि यंत्र ले जाने का अधिकार है, लेकिन उसे प्रचलित रास्ता छोड़कर नाले में से रास्ता दिया जाना अनुचित है क्योंकि उक्त नाला गहरा पानी भरा है, बड़े-बड़े पत्थर झाड़ियां हैं। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णरूपेण विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया था एवं निरस्त किये जाने योग्य था, किंतु आयुक्त ने उक्त तथ्यों पर ध्यान दिये बगैर ही आवेदकगण की द्वितीय अपील निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है। पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) आयुक्त ने धारा 131 के प्रावधानों का समुचित परिशीलन किये बगैर एवं उसका विधि अनुसार निर्वचन किये बगैर गलत अर्थानवयन के आधार पर विधि विपरीत निष्कर्ष निकाला है। आयुक्त ने प्रश्नाधीन रास्ते को रूढ़िगत रास्ता न मानते हुए विधि की गंभीर भूल की है, जबकि आवेदकगण ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित कर दिया था कि प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत रास्ता है, अलावा इसके आवेदकगण ने यह भी प्रमाणित किया है कि अनावेदकगण उक्त रास्ते में बड़े-बड़े गड्डे खोदकर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, किंतु आयुक्त ने आवेदकगण की साक्ष्य का समुचित परिशीलन किये बिना ही आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है, पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) द्वितीय अपीलीय न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि विचारण न्यायालय द्वारा जो स्थल निरीक्षण किया गया है, वह विधिवत स्थल निरीक्षण है, उसमें कोई वैधानिक त्रुटि या अनियमितता नहीं है। जहां तक स्थल निरीक्षण के साथ संलग्न पंचनामे का प्रश्न है, उक्त पंचनामा भी विधिवत निरीक्षण पंचनामा है एवं पंचनामा केवल स्थल निरीक्षण की प्रमाणिकता को प्रदर्शित करने वालापांच व्यक्तियों की साक्ष्य दर्शित करने वाला लेख है, जो केवल यह प्रमाणित करता है कि उक्त स्थल निरीक्षण हम पांच व्यक्तियों की उपस्थिति में मौके पर निष्पादित किया गया है। पंचनामा स्थल निरीक्षण का सहगामी दस्तावेज है, उक्त पंचनामा में स्थल निरीक्षण में उल्लेखित इवारत की पुनरावृत्ति किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उपस्थिति की प्रमाणिकता को दर्शित करते हुए स्थल निरीक्षण को सम्पुष्ट करने वाला सहगामी दस्तावेज है। जहां तक उक्त पंचनामे में वर्णित तथ्यों का प्रश्न है, उक्त पंचनामे में सम्पूर्ण तथ्य स्पष्टत: वर्णित है, जिसकी पुष्टि उक्त स्थल पंचनामा और स्थल निरीक्षण से हो जाती है। उक्त पंचनामे को विधिवत पंचनामा न मानते हुए आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की है। पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) द्वितीय अपीलीय न्यायालय को यह देखना था कि स्वयं अनावेदक ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि प्रश्नाधीन रास्ता बावई एवं रोढ़ामेड़ा खसरा नं. 225 एवं 226 में रास्ता है, लेकिन वह नक्शे में दर्ज नहीं है। उक्त साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य का समुचित परिशीलन करते हुए उक्त रास्ते को प्रचलित रास्ता स्वीकार किया है एवं उक्त रास्ते के आधार पर धारा 130 के अधीन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रथम अपीलीय न्यायालय को नहीं थी एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है। द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य थी एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए था, किंतु द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्यों पर ध्यान दिये बगैर ही आवेदकगण की द्वितीय अपील निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है, पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) द्वितीय अपीलीय न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रदर्श बी-2 का नक्शा अनावेदकों ने प्रस्तुत किया यह नक्शा प्रकट

करता है कि आवेदक की भूमि और अनावेदक की भूमि एक दूसरे से लगी हुई है। प्रदर्श डी-1 का नक्शा नकल कलेक्टर कार्यालय से लेकर अनावेदक ने प्रस्तुत की है। कलेक्टर कार्यालय से ली गई प्रमाणित प्रतिलिपि का अर्थ यह है कि यह नक्शा ग्राम रोंढ़ा की रिफरेंस शीट है। इसमें ख.नं. 226 में 4 स्थानों में टूटक लाईन चिन्हांकित है, जो कि आवेदकों की जमीन ख.नं. 225 तक जाती है। टूटक लाईन इस बात का प्रतीक है कि 226 न. से 225 नं. तक रास्ता 68-69 में चालू था। प्रदर्श डी-2 के नक्शे अनुसार अनावेदक की भूमि ख.नं. 226 के 4 बटे नम्बर हो गये हैं। बटे नं. को मेढ़ प्रदर्श डी-1 के नक्शे में बताई टूटक चिन्ह से हटाकर है। इस कारण अनावेदकगण अपनी-अपनी सुविधा की मेढ़ से आवेदकों को जाने से रोकते हैं। प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 के नक्शे में एक समानता यह है कि पश्चिम दिशा की मेढ़ पर दोनों नक्शों में चांदे का चिन्ह है, वहां से लगाकर दोनों नक्शे में टूटक चिन्ह समान है और चांदे से लगाकर टूटक चिन्ह के पास ख.नं. 226/3 है। चूंकि दोनों नक्शे अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, इसलिए टूटक चिन्ह उनके द्वारा स्वीकृत है। आवेदक पक्ष की साक्ष्य का स्वरूप देखते हुए यह प्रमाणित होता है कि चांदे के चिन्ह से लगे हुए स्थान पर ख.नं. 226 में रूढिगत मार्ग है। उक्त विचारण न्यायालय के निष्कर्ष पूर्णरूपेण विधिसम्मत हैं एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इन निष्कर्षों के विपरीत आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की है, द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इन तथ्यों को नहीं देखा गया। द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्निलखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदगण का मूल पुरूष गेंदी के समय से चलता आ रहा रूढिगत प्रचलित रास्ता जो वर्तमान में खसरा नंबर 227/3 व 228 की मेड से अस्तित्व में है और आवेदकगण को उपलब्ध है, इसके उपरांत भी अनावेदकगण गणस्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 22.05.2010 के अनुसार ख.नं. 226/1 के उत्तरी भाग की मेड से आवेदकगण की भूमि

ख.नं. 225/1 एवं 225/2 में आने-जाने हेतु रास्ता देने के लिए सहमत है, जबकि आवेदकगण का खेत ख.नं. 225/1 अनावेदकगण के खेत ख.नं. 226/1 से लगा है और समान स्थिति में है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं और आवेदकगण की निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) नक्शा में मूल पुरूष गेंदी की पैतृक भूमि के सभी ख.नं. 223, 224, 225, 226, 228 एवं अन्य खसरा नंबरों से टूटक लाईन कई जगह पर चिन्हांकित है, जो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई चकबंदी के चिन्ह है, रास्ता नहीं है। स्थल जांच पंचनामा में भी भूमि खसरा नंबर 226/3 से सिद्ध नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा द्वितीय बार दिनांक 28.04.2015 को पुन: स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें केवल मात्र 226/4, 226/3, 225/2 एवं 224/1 का मौके पर स्थल निरीक्षण किया।

(3) अपीलीय न्यायालय ने आवेदकगण को कृषि भूमि खसरा नंबर 225/1, 225/2 में आने-जाने का रास्ता स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 22.05.2010 के अनुसार पूर्णरूपेण विधिसम्मत होने से विधि अनुरूप पारित किया है। आवेदकगण वर्तमान में भी स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 22.05.2010 के अनुसार ख.नं. 226/1 की उत्तरी मेढ से आवागमन करते हैं। रास्ता की जगह में पेड़ झाड़िया नहीं है, ना ही नाला है, ना ही दूसरे की भूमि है। उक्त रास्ता से बिना किसी बाधा रूकावट के काफी दूर है। प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय का आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है तथा आवेदकगण की अपील सारहीन अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि पर आने-जाने हेतु पूर्व में तैयार स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 22.05.2010 से दर्शित रास्ता से आना-जाना करते चले आ रहे हैं। कृषि उपकरणों को लाते ले जाते हुए अपना कृषि कार्य बिना बाधा के लगातार उपयोग कर रहा है। आवेदकगण द्वारा बिना उचित कारण के अनावेदकगण को परेशान किया जा रहा है। वर्तमान में भी आवेदकगण के द्वारा प्रश्नाधीन भूंमि में गेंहूँ की फसल बोई थी और स्थल पंचनामा दिनांक 22.05.2010 में दर्शित रास्ता का ही उपयोग किया गया है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को रास्ता दे दिया गया है तथा इसकी पुष्टि आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश में की गई है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> ''धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।''

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 स्थिर रखे जाते हैं। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर